

डूमस डे ग्लेशियर

संदर्भ

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, अंटार्कटिका के " डूमस डे ग्लेशियर", थ्वाइट्स ग्लेशियर के पिघलने से वैश्विक समुद्र का स्तर 3-10 फीट तक बढ़ सकता है।

मुख्य बिंदु

- लगभग स्पेन के आकार का हिमनद गर्म पानी के संपर्क आने से नीचे से पिघल रहा है।
- गर्म पानी गहरे खुले महासागरों से महाद्वीपीय शेल्फ तक तब तक बहता है जब तक कि यह ग्राउंडिंग लाइन तक नहीं पहुंच जाता (वह बिंदु जहां बर्फ की चादरें तैरने लगती हैं)।
- पिछली दो शताब्दियों में किसी समय हिमनद का आधार समुद्र तल से हट गया और 2.1 किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से घट रहा है।
- समुद्र तल पर भूतल ग्राउंडिंग लाइन में भूवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं जिन्हें रिब्स कहा जाता है। वे चट्टानी कीचड़ में ट्रैक्टर के टायर के निशान की तरह दिखते हैं जो थ्वाइट्स के सामने समुद्र तल को कवर करते हैं।



गतिशील घटाव

- बर्फ की चादरों में सबसे अधिक परिवर्तन वर्तमान में समुद्र के किनारे पर ग्लेशियर की गतिशीलता के परिणामस्वरूप होता है।
- ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की चादरों के किनारे कई ग्लेशियर तेजी से बढ़ रहे हैं और वैश्विक समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान दे रहे हैं।
- त्वरित प्रवाह के परिणामस्वरूप बर्फ का नुकसान, गतिशील घटाव के रूप में जाना जाता है।
- वैश्विक स्तर पर, बर्फ का नुकसान प्रति वर्ष ~1.8 मिमी का योगदान देता है, लेकिन यह बढ़ सकता है यदि बर्फ के चादरों और ज्वार के ग्लेशियरों के घटने से आगे जमी हुई बर्फ के नुकसान को बढ़ाता है।
- बर्फ की चादरों के कमजोर हिस्सों के बड़े पैमाने पर पतन की शुरुआत करता है।

व्यावसायिक विकिरण संरक्षण

सन्दर्भ

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) व्यावसायिक विकिरण संरक्षण पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सह-प्रायोजन कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा आयोजित किया गया।

आयनकारी विकिरण (IR) क्या है?

- आयनकारी विकिरण परमाणुओं द्वारा जारी एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों (गामा या एक्स-रे) या कणों (न्यूट्रॉन, बीटा या अल्फा) के रूप में चलती है।
- परमाणुओं के स्वतःस्फूर्त विघटन को रेडियोधर्मिता कहा जाता है और उत्सर्जित अतिरिक्त ऊर्जा आयनकारी विकिरण का एक रूप है।
- वह प्रक्रिया जिसमें एक ऊर्जा परमाणु से अलग हो जाती है, आयनकारी कहलाती है।
- आयनकारी विकिरण तीन मुख्य प्रकार के होते हैं:
अल्फा कण, जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं।
बीटा कण, जो अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं।
गामा किरणें और एक्स-रे, जो शुद्ध ऊर्जा (फोटॉन) हैं।
- एक्स-रे और गामा किरण विकिरण में उच्च ऊर्जा होती है, जो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अलग करने के लिए या कुछ मामलों में परमाणु के नाभिक को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है।
- आईआर के स्रोत प्राकृतिक हो सकते हैं जैसे पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ, कॉस्मिक किरणें, रेडॉन, एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस है, जो चट्टान और मिट्टी से निकलती है और प्राकृतिक विकिरण का मुख्य स्रोत है।
- कृत्रिम स्रोतों में निदान और उपचार के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा उपयोग शामिल हैं।

आयनकारी विकिरण के प्रभाव

- विकिरण कोशिकाओं में मौजूद कोशिकाओं या जीन को नुकसान पहुंचाता है। यह एक कोशिका के भीतर का जीन है जो यह निर्धारित करता है कि कोशिका कैसे कार्य करती है।
- इस प्रकार, यदि जीन को नुकसान होता है तो कैंसर होना संभव है। यदि प्रजनन अंगों में जीन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उत्परिवर्तन हो सकता है। ऐसा उत्परिवर्तन बच्चों को दिया जा सकता है।
- प्राप्त विकिरण की खुराक, या अवशोषित खुराक को ग्रे (Gy) नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है।
- सिवर्ट (एसवी) नुकसान पहुंचाने की क्षमता के संदर्भ में प्रभावी खुराक की इकाई है।

Face to Face Centres





• ILO के अनुसार, आयनकारी व्यावसायिक विकिरण के संपर्क में आने से दुनिया भर में रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर, भूमिगत खनिक, वायुकर्मी और चिकित्सा और परमाणु उद्योगों में काम करने वाले 24 मिलियन से अधिक कर्मचारी प्रभावित होते हैं।

विकिरण संरक्षण सम्मेलन, 1960

- जून 1960 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने विकिरण संरक्षण सम्मेलन, 1960 को अपनाया।
- यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधन है जो विकिरण के खिलाफ श्रमिकों की सुरक्षा को संबोधित करता है।
- 1975 में भारत सहित 50 देशों द्वारा कन्वेंशन की पुष्टि की गई है।

भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था

संदर्भ

भारतीय एक्जिज्म बैंक ने हाल ही में अपनी तरह का पहला अध्ययन 'भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब और विकास' प्रकाशित किया है।

प्रमुख बिंदु

- शोध पत्र भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की अप्रयुक्त निर्यात क्षमता का मानचित्रण करता है।
- रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के वर्गीकरण के अनुसार कला और शिल्प, श्रव्य दृश्य, डिजाइन और दृश्य कला जैसे सात अलग-अलग रचनात्मक खंडों का विश्लेषण किया, ताकि उनकी निर्यात क्षमता का मानचित्रण किया जा सके।
- भारत का रचनात्मक वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 2019 में 121 बिलियन डॉलर के करीब था, जिसमें से रचनात्मक सेवाओं का निर्यात लगभग 100 बिलियन डॉलर था।
- भारत में, डिजाइन खंड का योगदान 2019 में कुल रचनात्मक वस्तुओं के निर्यात का 87.5% था, और अन्य 9% कला और शिल्प खंड द्वारा योगदान दिया गया है।
- देश में रचनात्मक अर्थव्यवस्था काफी विविध थी और मनोरंजन क्षेत्र जैसे उद्योग रचनात्मक अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण बल देते हैं।
- राजस्व के मामले में शीर्ष अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस बाजारों के मामले में भारत यू.एस. के बाहर, विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है।
- अध्ययन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, विस्तारित वास्तविकता और ब्लॉकचेन की भूमिका पर भी कब्जा कर लिया, जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था के कामकाज को प्रभावित कर रहे हैं।

6 राज्यों को में एनसीडीसी की शाखाएं खुलेंगी

संदर्भ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की शाखाओं की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की क्षेत्रीय शाखाएं महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगी और शीघ्र निगरानी, और बीमारियों का तेजी से पता लगाने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देंगी जिससे शीघ्र हस्तक्षेप संभव हो सकेगा।
- राज्यों में एनसीडीसी शाखाएं समय पर रोग निगरानी और निगरानी में राज्य सरकारों का समर्थन करेंगी।
- ये प्रारंभिक चेतावनी को सक्षम करेंगे जिससे क्षेत्र से एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा।
- राज्य की शाखाएं एनसीडीसी, दिल्ली के साथ डेटा और सूचना के वास्तविक समय साझाकरण के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त करेंगी।
- एनसीडीसी शाखाएं अद्यतन दिशानिर्देशों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण होंगी ताकि वैज्ञानिक रूप से समर्थित सटीक जानकारी आसानी से प्रसारित की जा सके।

एनसीडीसी के बारे में

- संस्थान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- निदेशक, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के सार्वजनिक स्वास्थ्य उप-संवर्ग का एक अधिकारी, संस्थान का प्रशासनिक और तकनीकी प्रमुख होता है।
- वर्तमान में, एनसीडीसी की राज्यों में आठ शाखाएं हैं, जिनमें एक या कुछ बीमारियों पर ध्यान दिया जाता है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

Face to Face Centres



कर्नाटक बैंक खजाने-II का हिस्सा बना

सन्दर्भ

कर्नाटक बैंक लिमिटेड अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाता प्रणाली को लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) - खजाने-II का हिस्सा बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- स्वचालित वातावरण में खजाने-II के साथ इस इंटरफेस के माध्यम से, बैंक लक्षित लाभार्थियों को नकद लाभ के वितरण के लिए विभिन्न प्रायोजित योजनाओं को उनके बैंक खातों में सीधे क्रेडिट के माध्यम से सुरक्षित, और तेज तरीके से लागू करने के सरकार के प्रयासों को मजबूत करेगा।
- बैंक, अपनी प्रौद्योगिकी और डिजिटल नेतृत्व वाले समाधानों के माध्यम से, जनता के कल्याण के लिए अपनी विभिन्न पहलों को लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ जुड़ना और साझेदारी करना जारी रखेगा।



फ्रैकिंग तकनीक

संदर्भ

नवनिर्वाचित यूके के प्रधान मंत्री ने विवादास्पद फ्रैकिंग तकनीक सहित ऊर्जा में संपूर्ण निवेश का समर्थन करने का वादा किया है।

प्रौद्योगिकी के बारे में

- हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, या फ्रैकिंग, एक ऐसी प्रक्रिया है जो रॉक संरचनाओं को चकनाचूर करने और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए उच्च दबाव वाले द्रव (पानी, रेत और रासायनिक योजकों की छोटी मात्रा) इंजेक्शन का उपयोग करती है।
- यह 60 से अधिक वर्षों से उपयोग में है और इसे अक्सर प्राकृतिक गैस उत्पादन में उछाल का जिम्मेदार माना जाता है।



पर्यावरण पर प्रभाव

- हालांकि, यह उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की संख्या और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की हवा और पानी की गुणवत्ता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के कारण विवादास्पद है।
- फ्रैकिंग प्रक्रिया में निकलने वाले मुख्य प्रदूषकों में से एक मीथेन है जो ग्रीनहाउस गैस है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक समय तक वातावरण में रहती है।
- मीथेन के अलावा, फ्रैकिंग से नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेंजीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य हाइड्रोकार्बन जैसे जहरीले यौगिक भी निकलते हैं, जिससे स्मॉग और ओजोन बनता है।
- यह बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करता है और आसपास के जल स्तर में जहरीले रसायनों को छोड़ता है। अपशिष्ट जल की उच्च लवणता मिट्टी की पौधों के जीवन का समर्थन करने की क्षमता को कम कर सकती है।
- ड्रिलिंग कार्यों के पूरा होने के बाद, परिणामी अपशिष्ट द्रवों को अक्सर गहरे कुओं में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे दबाव विनाशकारी भूकंप का कारण बन सकते हैं।

स्वच्छ वायु योजना के तहत शहरों में 'सीमित परिवर्तन'

सन्दर्भ

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने हाल ही में रिपोर्ट किया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत शहरों के समूह और इसके दायरे से बाहर के शहरों के बीच पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण (पीएम2.5) के रुझानों में "बमशिकल कोई अंतर है"।

प्रमुख बिंदु

- एनसीएपी में भारत के 132 सबसे प्रदूषित या तथाकथित गैर-प्राप्ति वाले शहर शामिल हैं।
- 2019 में शुरू किए गए एनसीएपी का लक्ष्य 2017 के प्रदूषण स्तरों को आधार बनाकर, 2024 तक PM2.5 और PM10 कणों से प्रदूषण के स्तर में 20% - 30% की कमी लाना है।
- शहरों को 2020-21 से सुधार की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वार्षिक औसत PM10 एकाग्रता में 15% और अधिक की कमी और "स्वच्छ हवा" दिनों में कम से कम 200 तक समवर्ती वृद्धि की आवश्यकता है।
- मानकों के अनुसार न होने के परिणामस्वरूप फंडिंग कम हो जाएगी।
- धन के संवितरण के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कार्यक्रम का समन्वय करता है, केवल PM10 के स्तर, अपेक्षाकृत बड़े, मोटे कणों पर विचार करता है।
- हालांकि PM2.5, छोटे, अधिक खतरनाक कणों की निगरानी सभी शहरों में उतनी मजबूती से नहीं की जाती है, जिसका मुख्य कारण उपकरणों की कमी है।
- पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के शहर उन शहरों की सूची में हावी हैं, जिन्होंने 2019 और 2021 के बीच PM2.5 के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।
- चेन्नई, वाराणसी और पुणे एनसीएपी शहरों में सबसे अधिक सुधार दिखाते हैं।
- गैर-एनसीएपी शहरों की सूची में हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के शहर हैं, जिन्होंने वायु प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।



Face to Face Centres

अन्य महत्वपूर्ण खबरें

पीएम-श्री योजना

सन्दर्भ

शिक्षक दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री ने पीएम-श्री योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।

• ये स्कूल उदाहरण के तौर पर काम करेंगे और आसपास के अन्य स्कूलों को मेंटरशिप देंगे। इस योजना के तहत, चिन्हित किए गए स्कूलों में केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूल शामिल होंगे।



मेनू लेबलिंग मानदंड

सन्दर्भ

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मेनू लेबलिंग मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए 16 खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

प्रमुख बिंदु

• आतिथ्य उद्योग के लिए अनिवार्य मेनू लेबलिंग मानदंड 1 जुलाई, 2022 को लागू हुए।

• मेनू लेबलिंग मानदंड केंद्रीय लाइसेंस वाले रेस्तरां और होटल खिलाड़ियों पर लागू होते हैं।

• इसके अलावा, दस या अधिक स्थानों पर आउटलेट चलाने वाली रेस्तरां शृंखलाओं को इन मानदंडों का पालन करना होगा।

• ऐसे रेस्तरां के खाद्य उत्पादों को बेचने वाले ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थों के मेनू लेबलिंग की घोषणा करनी होगी।

• मानदंडों के तहत, ऑपरेटर्स को कैलोरी की संख्या, सेवारत आकार, एलर्जी संबंधी जानकारी और शाकाहारी/मांसाहारी लोगो प्रदर्शित करना चाहिए।



वी.ओ.चिदंबरम पिल्लै

सन्दर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी वी. ओ. चिदंबरम पिल्लै को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

वी ओ चिदंबरम पिल्लै के बारे में

• वी ओ चिदंबरम पिल्लै का जन्म 5 सितंबर 1872 को तमिलनाडु में हुआ था।

• वी.ओ.चिदंबरम पिल्लै ने वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया।

• स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्णानंद से प्रेरित होकर, उन्होंने 12 नवंबर, 1906 को स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। उन्होंने स्वदेशी प्रचार सभा, धर्मसंगा नेसावु सलाई, नेशनल गोदाम, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और देसबीमना संगम जैसे कई संस्थानों की स्थापना की।

• 1908 में, पिल्लै पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और तूतीकोरिन कोरल मिल्स हड़ताल के हिस्से के रूप में दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।



राष्ट्रीय सहयोग नीति

सन्दर्भ

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने हाल ही में एक नई राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की।

Face to Face Centres





प्रमुख बिंदु

- 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार की जा रही है।"
- समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय/राज्य/जिला और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, कुछ राज्यों की सहकारी समितियों के सचिव (सहकारिता) और रजिस्ट्रार और केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियाँ हैं, जिनका सदस्य आधार लगभग 29 करोड़ है, जो देश भर में फैली हुई हैं।

उद्देश्य

- यह योजना प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियों और सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करेगी। केंद्र ने पैक्स के लिए विशेष रूप से उन्हें विविध गतिविधियों को करने की अनुमति देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक मसौदा नियम साझा किया है।
- नया नीति दस्तावेज तैयार किया जा रहा है: देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और उसकी पहुंच को मजबूत करना, सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना, एक उपयुक्त नीति बनाना, सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास करने में मदद करने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा।

National Policy on Cooperatives

- ✓ Upholds the values and principles of cooperation.
- ✓ Recognizes cooperatives as distinct economic character and an integral component of the socio-economic system.
- ✓ Recognizes cooperatives as an effective tool of socio-economic development.
- ✓ Limits the regulatory role of the Govt. to certain core functions like timely conduct of election & audit and initiation of measures for safeguarding the interest of members and other stakeholders.

[MCQ](#), [Current Affairs](#), [Daily Pre Pare](#)

Face to Face Centres

